

## विशिष्टियां

भारत की लोकसभा में 01 अगस्त, 2000 को पारित संविधान संशोधन विधेयक यथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 के अन्तर्गत 27वें राज्य के रूप में 'उत्तरांचल' का गठन हुआ। इस विधेयक के अन्तर्गत पर्वतांचल के विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित विधान सभा के 22 सदस्यों तथा विधान परिषद के 09 सदस्यों को मिलाकर कुल 31 विधायकों द्वारा उत्तराखण्ड की अंतरिम विधान सभा का गठन किया गया। लोक सभा की 05 तथा राज्य सभा की 03 सीटों वाले इस राज्य में विधान सभा की अब 70 सीटें हैं तथा 01 सीट एंग्लो इण्डियन प्रतिनिधि की है।

मध्य हिमालय क्षेत्र में 09 नवम्बर, 2000 को अस्तित्व में आये इस नये राज्य में मध्य रात्रि के तत्काल बाद 12.05 बजे श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पद की शपथ ली। प्रारम्भ में न्यू कैट रोड पर स्थित बीजापुर गेस्ट हाउस को अस्थाई रूप से राजभवन बनाया गया, किन्तु स्थानाभाव तथा सुरक्षा-व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए 25 दिसम्बर, 2000 को राजभवन सर्किट हाउस, देहरादून में स्थानान्तरित किया गया। राज्यपाल सचिवालय पूर्ववत् निर्माणाधीन राज्यपाल सचिवालय के भवन बनने तक बीजापुर गेस्ट हाउस में ही संचालित है।

देहरादून की अपनी एक प्रतिष्ठित पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक महिमा और गरिमा रही है। गुरु रामराय द्वारा बसाये गये देहरादून को वर्ष 1830 में ब्रिटिश शासन द्वारा ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल घोषित किया गया, जहां वर्ष 1902 में 'सर्किट हाउस' निर्मित किया गया। इस सर्किट हाउस का प्रारम्भिक नाम 'कोर्ट हाउस' था, जिसमें मुख्यतया उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अंग्रेज राज्यपाल बराबर ठहरते रहे। आजादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू जब भी देहरादून आते तो इसी सर्किट हाउस में ठहरना पसन्द करते थे। इसके बाद लगभग सभी प्रधानमंत्री और यदा-कदा राष्ट्रपति भी इसी ऐतिहासिक भवन में ठहरते रहे।

राजभवन देहरादून के अतिरिक्त उत्तराखण्ड को 'राजभवन नैनीताल' एक विरासत के रूप में मिला। कालांतर में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद वहां एक आकर्षक भव्य भवन निर्मित किया गया, जो 'गवर्नमेंट हाउस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आजादी के बाद इसे 'राजभवन' का नाम दिया गया। राजभवन नैनीताल का शिलान्यास 27 अप्रैल, 1897 को हुआ था। इस भवन के निर्माण कार्य में लगभग दो वर्ष का समय लगा, जो मार्च, 1899 में बनकर पूर्ण हुआ। इस राजभवन में सर्वप्रथम निवास करने का सौभाग्य सर एनटोनी मैकडोनल को प्राप्त हुआ था। इसके बाद सर जेम्स ला टोच, सर जान हेवेट, सर जेम्स मिस्टन, सर हरकोर्ट बटलर और सर विलियम आदि जैसे अंग्रेज राज्यपालों ने इस राजभवन में निवास किया।

आजादी के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर के रूप में यहां रहीं। इस राजभवन परिसर का 220 एकड़ पर फैला समस्त भू-भाग पर्वतीय एवं वनाच्छादित है। इस राजभवन में आठ एकड़ में भवन स्थित है, जबकि 45 एकड़ में 18 होल्स का गोल्फ मैदान, 160 एकड़ में फोरेस्ट, स्वीमिंग-पूल के अतिरिक्त अनेक आवासीय भवन हैं। मुख्य भवन यूरोपियन पद्धति की गोथिक वास्तुकला पर आधारित है तथा देखने में अंग्रेजी के अक्षर 'ई' की आकृति का लगता है। इसका डिजाइन मुम्बई के तत्कालीन वास्तुशिल्पी, स्टेवेंस और अधिशासी अभियन्ता, एफ0ओ0 डब्लू0 ओरटेल द्वारा तैयार किया गया था। इस भवन में मुख्य सोपान को बर्मा टीक वुड से निर्मित किया गया है तथा शेष लकड़ी का कार्य मुख्यतः शीशम एवं साल से कराया गया है। राजभवन में स्थानीय पत्थरों का प्रयोग करके ऐशलर चिनाई में यह भवन निर्मित किया गया है। विश्व के सुन्दरतम राजभवनों में इस राजभवन की गणना की जाती है। राजभवन नैनीताल में गोल्फ क्लब विशेष महत्व रखता है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सर्व श्री मोतीलाल वोरा और श्री रोमेश भंडारी के बाद उत्तरांचल के प्रथम राज्यपाल, श्री सुरजीत सिंह बरनाला और उनके पश्चात् राज्यपाल, श्री सुदर्शन अग्रवाल तथा महामहिम श्री बी0 एल0 जोशी और वर्तमान में महामहिम श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने गोल्फ मैदान को और अधिक आकर्षक एवं सुविहार सम्पन्न बनाने तथा राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता आयोजित करने में काफी दिलचस्पी ली। ग्रीन हाउस सहित राजभवन में एक उद्यान भी है, जिसमें सब्जियां उत्पादित की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल ग्रीष्मकालीन राजभवन के रूप में इसे प्रयोग करते रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद प्रायः गर्मियों में महामहिम श्री राज्यपाल देहरादून से कुछ दिनों के लिए राजभवन नैनीताल प्रवास पर रहते हैं।

## राज्यपाल की संवैधानिक व्यवस्था

भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में राज्यपाल की संवैधानिक व्यवस्था इस प्रकार दी गई है :-

153. राज्यों के राज्यपाल— प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा :

परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ही एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिये राज्यपाल नियुक्त किये जाने से निवारित नहीं करेगी।

154. राज्य की कार्यपालिका शक्ति—

(1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात

(क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी के प्रदान किये गये कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जायेगी, या

(ख) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधान मंडल को निवारित नहीं करेगी।

155. राज्यपाल की नियुक्ति— राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।

156. राज्यपाल की पदावधि—

(1) राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुये राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। परन्तु राज्यपाल, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

157. राज्यपाल नियुक्त होने के लिये अर्हताएं — कोई व्यक्ति राज्यपाल होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।

158.

(1) राज्यपाल संसद के किसी सदन या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

(2) राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

(3) राज्यपाल, बिना किराया दिये, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।

जहां एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहां उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किये जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे।

(4) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किये जायेगा।

159— राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान— प्रत्येक राज्यपाल और व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

160— कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन— राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में, जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिये ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है।

161— क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।

162. राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार— इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान मंडल को विधि बनाने की शक्ति है:—

परन्तु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधान—मंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा, या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और परिसीमित होगी।

163— राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिये मंत्रि परिषद:

- (1) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रि परिषद होगी जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा।
- (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जायेगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिये था या नहीं।
- (3) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जायेगी क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।

164. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबन्ध—

- (1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे। परन्तु बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भारसाधक होगा।
- (2) मंत्रिपरिषद की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
- (3) किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये गये प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
- (4) कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास तक की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
- (5) मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

165— राज्य का महाधिवक्ता—

- (1) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिये अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा।
- (2) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उनको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किये गये हों।

- (3) महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे।
166. राज्य सरकार के कार्य का संचालन—
- (1) किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जायेगी।
  - (2) राज्यपाल के नाम से किये गये और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखित को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जायेगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जायेगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।
  - (3) राज्यपाल, राज्य सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिये और जहां तक वह कार्य ऐसा नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह विवेकानुसार कार्य करे वहां तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिये नियम बनाएगा।
167. राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य— प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह—
- (क) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे,
  - (ख) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे, और
  - (ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रि परिषद ने विचार नहीं किया है राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किये जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिये रखे।
168. राज्यों के विधान मंडलों का गठन —
- (1) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल और—
    - (क) बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों में एक सदनों से,
    - (ख) अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा।
  - (2) जहां किसी राज्य के विधान मंडल के दो सदन हैं वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधान सभा होगा और जहां केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधान सभा होगा।
169. राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन—
- (1) अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुये भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिये या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधान सभा ने इस आशय का संकल्प विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया है।
  - (2) खंड (1) में निर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिये आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे।
  - (3) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।
170. विधान सभाओं की संरचना —
- (1) अनुच्छेद 333 के अधीन रहते हुये, प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुये पांच सौ से अनधिक और साठ से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी।
  - (2) खंड (1) के प्रयोजनों के लिये, प्रत्येक राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनता का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो।
- स्पष्टीकरण—** इस खंड में “जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके आंकड़े प्रकाशित हो गये हैं।

परन्तु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2000 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश हैं।

- (3) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का उसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जायेगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे।

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से विधान सभा में प्रतिनिधित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।

परन्तु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक विधान सभा के लिये कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं।

परन्तु यह और भी कि जब तक सन् 2000 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या का और इस खंड के अधीन ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा।

#### 171—विधान परिषदों की संरचना—

- (1) विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के (एक तिहाई) से अधिक नहीं होगी। परन्तु किसी राज्य की विधानपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में चालीस से कम नहीं होगी।
- (2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे जब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड (3) में उपबंधित रीति से होगी।
- (3) किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का—
  - (क) यथाशक्य निकटतम एक तिहाई भाग उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के, जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा।
  - (ख) यथाशक्य निकटतम बारहवां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक—मंडलों द्वारा होगा, जो भारत के राजक्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक हैं या जिनके पास कम से कम तीन वर्षों से ऐसी अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य विहित की गई हों,
  - (ग) यथाशक्य निकटतम बारहवां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में, जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जायें, पढ़ाने के काम से कम से कम तीन वर्ष से लगे हुये हैं।
  - (घ) यथाशक्य निकटतम एक तिहाई भाग राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं।
  - (ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड (5) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किये जायेगे।
- (4) खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग)के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जायेंगे, जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किये जाएं तथा उक्त उपखंडों के और उक्त खंड के उपखंड (घ) के अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रातिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे।
- (5) राज्यपाल द्वारा खंड (3) के उपखंड (ङ.) के अधीन नाम निर्देशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्— साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा।

172— राज्यों के विधान मंडलों की अवधि—

- (1) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियत तारीख से (पांच वर्ष) तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और (पांच वर्ष) की उक्त अवधि समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा। परन्तु उक्त अवधि को, जब आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिये बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उदघोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।
- (2) राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक तिहाई सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस समय निमित्त बनाए गये उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे।

173— राज्य के विधान मंडल की सदस्यता के लिये अर्हताएं— कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान मंडल के लिये किसी स्थान को भरने के लिये चुने जाने के लिये अर्हित तभी होगा जब—

- (क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रायोजन के लिये दिये गये प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है।
- (ख) वह विधान सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का है, और,
- (ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जायें।

174— राज्य के विधान मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन—

- (1) राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिये आहूत करेगा किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियत तारीख के बीच छह मास का अन्तर नहीं होगा।
- (2) राज्यपाल समय समय पर—
  - (क) सदन या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा ,
  - (ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा।

175 — सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार—

- (1) राज्यपाल, विधान सभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधान मंडल के किसी सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में, अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।
- (2) राज्यपाल, राज्य के विधान मंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के सम्बन्ध में संदेश या कोई अन्य संदेश, उस राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिये अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा।

176— राज्यपाल का विशेष अभिभाषण—

- (1) राज्यपाल, 40 (विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में) विधान सभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधान मंडल को उसके आह्वान के कारण बतायेगा।
- (2) सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करने के लिये 41 उपबंध किया जायेगा।

177— सदनों के बारों में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार—

प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान सभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले और विधान मंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

# महामहिम राज्यपाल का कार्यभार ग्रहण

## महामहिम राज्यपाल की नियुक्ति:-

1. महामहिम राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर व सील द्वारा की जाती है।
2. भारत के राष्ट्रपति से नियुक्ति का वारंट प्राप्त होते ही निवृत्तमान/स्थानांतरित राज्यपाल की विदाई मनोनीत राज्यपाल के शपथ ग्रहण तथा स्वागत की तैयारी प्रारंभ कर दी जाती है।
3. निवृत्तमान/स्थानांतरित राज्यपाल की विदाई तथा मनोनीत राज्यपाल का स्वागत और शपथ ग्रहण कार्यक्रमों की व्यवस्था मुख्य सचिव की ओर से मंत्री परिषद गोपन, प्रोटोकॉल एवं राजभवन द्वारा की जाती है।
4. राजभवन के द्वारा गरिमामय विदाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें निवृत्तमान/स्थानांतरित राज्यपाल के प्रस्थान के समय राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें विदाई देने के लिए उपस्थित होते हैं। महामहिम राज्यपाल द्वारा समस्त कर्मियों को उपयुक्त भेंट प्रदान की जाती है। अधिकारियों और कर्मचारियों से विदाई लेने के बाद महामहिम राज्यपाल को उत्तराखण्ड सशस्त्र पुलिस द्वारा सलामी तथा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके बाद जिला पुलिस द्वारा उन्हें समारोह पूर्वक ले जाने की व्यवस्था की जाती है। राजभवन परिवार के सदस्य मार्ग के दोनों ओर खड़े होकर पुष्प की वर्षा कर अपनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति देते हैं। जिला कलेक्टर भी इस मौके पर उपस्थित रहते हैं।
5. सामान्यतः निवृत्तमान/स्थानांतरित राज्यपाल मनोनीत राज्यपाल के आने के बाद या एक दिन पूर्व या उसी दिन प्रस्थान करते हैं। निवृत्तमान/स्थानांतरित राज्यपाल राज्य के राज्यपाल उस समय तक बने रहते हैं, जब तक कि मनोनीत राज्यपाल शपथ ग्रहण न कर लें। निवृत्तमान/स्थानांतरित राज्यपाल औपचारिक रूप से कार्यभार नहीं सौंपते और इस हेतु कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती।
6. निवृत्तमान/स्थानांतरित राज्यपाल को एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/गंतव्य स्थान पर समारोहपूर्वक विदाई दी जाती है, जिसका आयोजन मुख्य सचिव की ओर से गोपन मंत्रीपरिषद, प्रोटोकॉल एवं राजभवन द्वारा किया जाता है और इस हेतु आमंत्रण पत्र भी जारी किये जाते हैं। उपस्थित व्यक्तियों से विदाई लेने के पश्चात् राज्यपाल सलामी स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उत्तराखण्ड सशस्त्र पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर तथा राष्ट्रीय सलामी दी जाती है। उसके पश्चात् वे गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उन्हें माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव/सचिव सामान्य प्रशासन विभाग तथा राज्यपाल के सचिव द्वारा विदा किया जाता है।

## मनोनीत राज्यपाल के आगमन एवं शपथ ग्रहण की तिथि और समय निर्धारण

मनोनीत राज्यपाल के आगमन एवं शपथ ग्रहण की तिथि सुनिश्चित कर ली जाती है। निर्धारित तिथि एवं समय पर मनोनीत राज्यपाल का स्वागत पहुंचने वाले स्थान पर किया जाता है, जिसके लिए स्वागत समारोह का आयोजन मुख्य सचिव की ओर से गोपन मंत्रीपरिषद, प्रोटोकॉल एवं राजभवन द्वारा किया जाता है। आगमन पर सबसे पहले स्वागत माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव/सचिव सामान्य प्रशासन विभाग तथा राज्यपाल के सचिव द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात् वे सलामी स्थल की ओर जाते हैं, जहां उत्तरांचल सशस्त्र पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके बाद वे स्वागत स्थल पर सभी उपस्थित व्यक्तियों से मिलते हैं और फिर राजभवन की ओर प्रस्थान करते हैं। राजभवन आने पर उनका स्वागत संयुक्त सचिव/उप सचिव द्वारा किया जाता है।

## मनोनीत राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह

शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मुख्य सचिव की ओर से गोपन (मंत्रीपरिषद), सचिवालय प्रशासन राजभवन द्वारा किया जाता है तथा आमंत्रण पत्र जारी किये जाते हैं। राजभवन के लॉन में मंच बनाया जाता है। महामहिम और आमंत्रित व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शामियाने लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाये जाते हैं। आमंत्रितों के लिए सोफे व कुर्सियों की व्यवस्था भी लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है। मंच पर मनोनीत राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश के लिए दरबार चेयर लगायी जाती है, जिनके दाहिनी ओर मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के सचिव के लिए और बायी ओर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के बैठने की व्यवस्था की जाती है। आमंत्रितों की बैठक व्यवस्था प्रोटोकाल के आधार पर की जाती है। बैण्ड व्यवस्था उत्तराखण्ड सशस्त्र पुलिस द्वारा की जाती है। आमंत्रितों के लिए स्वागत तथा उन्हें उपयुक्त स्थान पर बैठाने के लिए राजभवन के अधिकारीगण एवं मंत्रीपरिषद (गोपन) के अधिकारीगण तथा कलेक्टोरेट के अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं।

शपथ ग्रहण समारोह के लगभग 2 मिनट पूर्व मुख्य न्यायाधीश निर्धारित जुलूस में समारोह स्थल में प्रवेश करते हैं और निर्धारित दरबार कुर्सी, जो रजिस्ट्रार जनरल की तरफ होती है पर आसन ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात् मनोनीत राज्यपाल जुलूस में मंच पर आते हैं। जुलूस में आगे 2 पुलिस के चौबदार, दांयी और बांयी ओर दोनों परिसहाय, पीछे मुख्य सचिव एवं राज्यपाल के सचिव रहते हैं।

महामहिम के मंच पर आसीन होने के पश्चात् सर्वप्रथम मुख्य सचिव द्वारा महामहिम से कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति ली जाती है। औपचारिक अनुमति के पश्चात् कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति का वारंट मुख्य सचिव द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है। इसके उपरांत मुख्य सचिव मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे मनोनीत राज्यपाल महोदय को शपथ दिलायें, तत्पश्चात् शपथ ग्रहण की जाती है। शपथ पत्र पर महामहिम तथा मुख्य न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं।

पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजायी जाती है। तत्पश्चात् मुख्य सचिव द्वारा कार्यवाही समाप्ति की अनुमति मांगी जाती है, जिसके साथ शपथ-विधि समारोह सम्पन्न होता है।

शपथ विधि के तत्काल बाद महामहिम सलामी लेने निर्धारित स्थान पर जाते हैं, जहां उन्हें सलामी एवं गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है।

सलामी एवं गार्ड ऑफ ऑनर के बाद महामहिम समारोह स्थल पर वापस आते हैं, जहां वे उपस्थित व्यक्तियों से मिलते हैं तथा जलपान में भाग लेते हैं। कार्यभार ग्रहण की सूचना पत्र द्वारा सम्बन्धित को भेजी जाती है।

सामान्यतः इसके पश्चात प्रेस वार्ता महामहिम की इच्छानुसार आयोजित की जाती है।

**इस समारोह में राजभवन को केवल निम्न व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं :-**

मनोनीत राज्यपाल तथा उनके परिवारजनों के ठहरने एवं खानपान की व्यवस्था।

मनोनीत राज्यपाल के अन्य आमंत्रितों के ठहरने की व्यवस्था।

समारोह में आये अतिथियों के लिये जलपान व्यवस्था।

शपथ विधि समारोह में सहायता व समन्वय।



## WARRANT OF APPOINTMENT OF THE GOVERNOR

By virtue of the power vested in me by Article 155 of the Constitution of India, I.....Presiden of India hereby appoint .....to be the Governor of Uttarakhand with effect from the date he assumes charge of his office.

Given at Rashtrapati Bhawan, New Delhi this.....day of .....in the year .....(.....Saka) in the.....year of the Republic of India.

Sd/-

**President of India**

मैं....., भारत का राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 द्वारा मुझ में निहित की गई शक्ति के आधार पर इसके द्वारा .....को उस तारीख से उत्तराखण्ड का राज्यपाल नियुक्त करता हूँ, जिस तारीख को वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं।

भारत का गणराज्य के .....वर्ष में, आज सन्.....के .....दिन (.....शक), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से जारी।

ह0—  
भारत के राष्ट्रपति

## Oath of Office

I,.....do swear in the name of God/solemnly affirm that I will faithfully execute the office of Governor of Uttarakhand and will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Uttarakhand.

### पद की शपथ

मैं....., ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक उत्तराखण्ड के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं उत्तराखण्ड की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा।

### महामहिम श्री राज्यपाल का कार्यकाल

महामहिम श्री राज्यपाल का नाम	कब से	कब तक
महामहिम श्री सुरजीत सिंह बरनाला	09.11.2000	07.01.2003
महामहिम श्री सुदर्शन अग्रवाल	08.01.2003	24.05.2005
महामहिम श्री टी० वी० राजेश्वर (अतिरिक्त पदभार)	25.05.2005	12.06.2005
महामहिम श्री सुदर्शन अग्रवाल	13.06.2005	28.10.2007
महामहिम श्री बी०एल० जोशी	29.10.2007	06.08.2009
महामहिम श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	06.08.2009	अब तक

## **His Excellency Shri. Surjit Singh Barnala** ( 9-11-2000 to 07-01-2003 )

Shri Surjit Singh Barnala was born on 21st October 1925 at Ateli, Begpur, Punjab (now part of District Mohindergarh, Haryana). His father was a Magistrate. Shri Barnala lost his father when he was only 9 years of age and had to struggle hard for acquiring education. Shri Barnala acquired a degree in Law from Lucknow University in 1946.

Shri Barnala started practicing Law in District Courts at Barnala. In the year 1967, he was elected as MLA to Punjab Vidhan Sabha from the Barnala Assembly Constituency. In 1969, he became Education Minister in the Government of Punjab. During his tenure as Education Minister, he was instrumental in establishing Guru Nanak Dev University in Amritsar. In 1977 he was elected as MP and was inducted as Cabinet Minister in the Janata Party Government headed by Shri Morarji Desai, and served as Minister of Agriculture; Food; Irrigation; and Rural Development. He went to jail 9 times for various political agitations and spent a total of three-and-a-half years in jail. During Emergency (1975-77) and after Operation Blue Star, he was kept in solitary confinement. In 1985, he was elected President of Siromani Akali Dal and led his party to a landslide victory in Assembly Election. He became Chief Minister of Punjab in 1985. In 1990 he was appointed as Governor of Tamil Nadu but resigned after a year over some differences with the Central Government.

A seasoned parliamentarian, he was re-elected to the Lok Sabha in 1996 and 1998 General Elections and served as Cabinet Minister of Ministry of Chemical & Fertilizers and Food & Civil Supplies.

Shri Barnala was appointed as Governor of Uttaranchal (now Uttarakhand) on 9th November 2000 and served in that capacity till 3rd January 2003 when he was appointed as Governor of Andhra Pradesh. He served as Governor of A.P. till 2nd November 2004. On 3rd November 2004 he took over as Governor of Tamil Nadu.

He is married to Mrs. Surjit Kaur.

Shri Barnala has extensively traveled through the mountains in India and also the Alps in Europe and other mountains in America and Canada. He is a keen nature lover and fond of painting, reading and writing. An exhibition of his paintings was held in Patiala University in 1998 and also in the Hyderabad State Art Gallery in 2004.

His book "Story of an Escape" was published by Penguin. Its second edition entitled "Quest for Freedom - Story of an Escape" published by Natraj Publishers, was released by President of India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam. It has been published in Punjabi, Telugu, Tamil, Hindi and Urdu and has been set in Brail also.

**His Excellency Shri Sudarshan Agarwal**  
**(8th January 2003 – 28 October 2007)**

Shri Sudarshan Agarwal was born in the year 1931. He acquired a degree in Law from Punjab University in the year 1953.

Shri Agarwal joined Judicial Service of Punjab in 1956 and served as a Judicial Officer till 1971. In 1971 he joined Rajya Sabha Secretariat and served in various capacities. In the year 1981 he became Secretary General of the Rajya Sabha and held this office for over 12 years. In 1986 while holding this office, he was elevated to the rank and status of Cabinet Secretary to Government of India.

He is a distinguished Rotarian and has served as Chairman of Rotary Foundation India. He also set up the Rotary Blood Bank at Delhi. He was also instrumental in setting up the Blood Bank under the auspices of Indian Medical Association in Dehradun.

He was sworn in as Governor Uttarakhand on 8th January 2003 and functioned in this capacity till 28th October 2007. He assumed the Office of Governor of Sikkim on 25th October 2007.

**His Excellency Shri B.L.Joshi**  
**(29th October 2007- 6<sup>th</sup> August, 2009 )**

Born in a small Rajasthan village, Shri B. L. Joshi began his career in 1957 with the police service and moved to the Govt. of India in 1962. During a long service career, Shri Joshi worked in different administrative positions including in the Ministry of Home Affairs, with Prime Ministers - Shri Lal Bahadur Shastri and Smt. Indira Gandhi, with the High Commissions of India at Islamabad and London, and with the Embassy of India at Washington D.C. He took voluntary retirement from the I.P.S. in 1991 and got involved in social work.

Shri Joshi moved to the United States of America in 1993, where he was Director with two large American Companies and also as Executive Director of an NGO located in California, which awards scholarships to bright and needy students in India. On his return from the U.S. in March 2000, Shri Joshi was appointed as 'Member' of the Rajasthan State Human Rights Commission, a position equivalent to a High Court Judge, where he worked for four years. He assumed the post of the Lt. Governor of Delhi on 09 June, 2004 and relinquished this responsibility on being appointed the Governor of Meghalaya in April 2007. In October 2007, he was appointed Governor of the State of Uttarakhand. Shri Joshi has travelled extensively in India and abroad. He takes keen interest in social work and is also associated with several social service groups and agencies.

## **Bioprofile of Smt. Margaret Alva**

<b>Name</b>	:	Alva, Smt. Margaret
<b>Father's Name</b>	:	Late Shri P.A. Nazareth
<b>Mother's Name</b>	:	Smt. E.L. Nazareth
<b>Date of Birth</b>	:	14 th April, 1942
<b>Place of Birth</b>	:	Mangalore, Distt. South Kanara (Karnataka)
<b>Marital Status</b>	:	Married
<b>Date of Marriage</b>	:	24 May, 1969
<b>Spouse's Name</b>	:	Shri Niranjan Alva
<b>No. of Sons</b>	:	3
<b>No. of Daughters</b>	:	1
<b>Educational Qualification</b>	:	B.A., B.L., Hon. Doctorate Educated at Mt. Carmel College and Government Law College,
<b>Profession</b>	:	Advocate Social worker Trade Unionist
<b>Permanent Address</b>	:	5/15 Milton Street Bengaluru.
<b>Present Address</b>	:	Rajbhawan Uttarakhand, Dehradun-248003 Ph. (0135) 2757403, 2757400

Elected to the Rajya Sabha in 1974, Margaret Alva served four consecutive six-year terms in that House, before she was elected to Lok Sabha in 1999.

In 1984, Margaret Alva was appointed Union Minister of State for Parliamentary Affairs in the Rajiv Gandhi Government, later moving to the Ministry of Human Resource Development in charge of Youth Affairs and Sports, Women and Child Development. In 1991 she was appointed Union Minister of State for Personnel, Pension, Public Grievances and Administrative Reforms (attached to the Prime Minister) where she initiated the process of administrative decentralization, taking governance to the grass roots.

She has served on some of Parliament's most prestigious committees viz., the Committee on Public Undertakings(COPU), the Public Accounts Committee(PAC), the Standing Committees on Foreign Affairs and Information and Broadcasting and all the four major Committees that involved women's rights viz the Dowry Prohibition Act (Amendment) Committee, the Marriage Laws (Amendment) Committee, the Equal Remuneration Review Committee and the 84th Constitution Amendment bill Joint Select Committee for 33% reservation for women in local bodies. In 1986, she was elected Chairperson of the first SAARC Ministerial meet on Women in Development and the UNICEF sponsored Conference on Children in South Asia which highlighted the plight of the girl-child and led to the SAARC Heads of Government declaring 1987 as "The Year of Girl-Child". In 1989, she presided over a core group appointed by the Government of India to draft a Perspective Plan for Women to detail development strategies for Women, which has since served as the blue print for policies adopted by the Central and State Governments.

She has represented India at all the major UN Conferences during the Decade for Women. Elected President of the World Women Parliamentarians for Peace (WWPP) in 1986, she led the delegation that petitioned Disarmament at the historic Reagan-Gorbachev Summit in Washington. In 1989, she was invited by the UN Women's Division to chair the Group of Experts Meeting to assess the impact of the

Decade for Women in decision making and again in 1989 on Violence against Women. In 1992, she was elected President of the ESCAP meet on Violence against Women in Seoul, South Korea and in 1994 she was invited to the Eminent Persons Meet organised by ESCAP in Bangkok. She was part of the national delegation to the UN General Assembly in 1976 and 1997, was an elected Member of the Governing Council of the Society for International Development (SID), Rome and served on its Executive for three years. She served as a Member of the Special Advisory Group of UNFPA set up to re-orient Population policies as follow up to the Cairo Conference and was part of the Commonwealth Observers Team for the National election in Cameroon in 1997. She has represented India at meetings of the Commission on the Status of Women at the U.N. In 1999, she served on the Expert Group set up by UNICEF to draft a country code on the Rights of the child. She served on the National Committee for Child Labour and was Vice Chairperson of the National Children's Board.

Margaret Alva is a lawyer by profession and practiced with her husband Shri Niranjana Alva in the Supreme Court. Widely travelled in India and abroad, Margaret Alva has lectured at Harvard and Columbia Universities and on several other prestigious platforms.

In recognition of her contribution to National Development, Margaret Alva was conferred the Honorary Degree of Doctor of Literature by the University of Mysore. She is also the recipient of the Rajiv Gandhi Excellence Award for her achievements in public life. She was honoured by the President of South Africa H.E. Thabo Mbeki during his visit to India, for support to the African National Congress during their struggle for freedom. Recipient of the First Nelson Mandela Award for minority Empowerment awarded by the International Foundation for Minority Empowerment (with consultative status with the UN) at a ceremony at the UN Church Centre in New York. In March 2007, she was honoured at the Kennedy Centre in Washington DC with the Global Leadership award by Vital Voices Global Partnership.

She served as Coordinator in the Congress President's office for two years and was General Secretary of the Indian National Congress till 2008. She was earlier National Convenor of the Mahila Congress (the Women's wing of the Indian National Congress).

Her last assignment was that of Advisor to the Bureau of Parliamentary Studies and Training, Lok Sabha Secretariat. She was appointed Governor of the State of Uttarakhand in July 2009 for a five year term and took oath on 6th August 2009.

-----0-----

प्रेषक,

श्री राकेश शर्मा,  
सचिव, गोपन।

सेवा में,

श्री एन. रविशंकर  
सचिव, श्री राज्यपाल।

गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग

देहरादून, दिनांक 07 फरवरी, 2001

विषय :- श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून में पदों का सृजन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 203/राजभवन/2000 दिनांक 29.11.2000 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, राज्यपाल सचिवालय हेतु निम्नलिखित अस्थाई पदों के नियुक्ति की तिथि से अथवा शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से, जो भी बाद में हो, 28 फरवरी, 2001 तक की अवधि के लिए, अगर पहले ही बगैर पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाये, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। पदों का विवरण, संख्या एवं वेतनमान उनके सम्मुख अंकित है :-

## राजपत्रित

क्र.सं.	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	सचिव, श्री राज्यपाल	01	अपने संवर्ग के अनुसार	आई.ए.एस.
2	संयुक्त सचिव, श्री राज्यपाल	01	अपने संवर्ग के अनुसार	पी.सी.एस.
3	परिसहाय, श्री राज्यपाल	02	अपने संवर्ग के अनुसार	एक सेना तथा एक पुलिस से
4	अनुसचिव	01	10000-325-15200	
5	विधि परामर्शदाता	01	अपने संवर्ग के अनुसार	न्यायिक सेवा
6	चिकित्साधिकारी	02 (एक पुरुष तथा एक महिला)	अपने संवर्ग के अनुसार	चिकित्सा सेवा
7	कम्प्यूटर सचिव	01	-	-
8	निजी सचिव श्री राज्यपाल (ग्रेड-1)	01	10000-325-15200	एक पद नि:संवर्गीय
9	निजी सचिव श्री राज्यपाल	01	6500-200-10500	-
10	अनुभाग अधिकारी	02	6500-200-10500	-
11	वित्त एवं लेखाधिकारी	01	अपने संवर्ग के अनुसार	वित्त एवं लेखा सेवा
12	सूचना अधिकारी	01	अपने संवर्ग के अनुसार	सूचना सेवा
13	कंप्यूटर प्रोग्रामर	01	8000-275-13500	बी.ई. अथवा बी.टैक (कंप्यूटर साइंस अथवा एम.सी.ए. शैक्षिक योग्यता रखता हो।

अराजपत्रित

क्र.सं.	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	प्रवर वर्ग सहायक	04	5500-175-9000	
2	वैयक्तिक सहायक	04	5500-175-9000	
3	कोषाध्यक्ष/लेखाकार	01	5000-150-8000	
4	सहायक लेखाकार	01	5000-150-8000	
5	अवर वर्ग सहायक	04	4500-125-7000	
6	सहा0 पुस्तकालयाध्यक्ष	01	5000-150-8000	
7	टेलीफोन आपरेटर	04	4500-125-7000	
8	सूचीकार	01	4500-125-7000	
9	स्टोर कीपर	01	4500-125-7000	
10	स्वागतकर्ता	04	3050-75-3950-80-4590	
11	कंप्यूटर डाटा इंटी आपरेटर	01	4500-125-7000	
12	टंकक	04	3200-85-4900	
13	दफ्तरी	01	2610-60-3150-65-3540	
14	जमादार/वरि.अनुसेवक	02	2610-60-3150-65-3540	
15	चपरासी/अनुसेवक	10	2550-55-2660-60-3200	
16	फर्राश कम चौकीदार	01	2550-55-2660-60-3200	
17	औषधालय मेहत्तर	01	2550-55-2660-60-3200	
18	डिस्पेंसरी आया	01	2550-55-2660-60-3200	
19	सफाई जमादार	01	2550-55-2660-60-3200	
20	सफाई कर्मचारी	06	2550-55-2660-60-3200	

- उक्त पदों में धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई व अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।
- विशिष्ट संवर्गों के पदों के अलावा शेष अन्य पदों की अर्हता वही रहेगी जो कि समकक्ष पदों की पूर्ववर्ती राज्य में विद्यमान थी।
- सृजित पदों को भरने एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के संबन्ध में कार्मिक विभाग का परामर्श यथासमय प्राप्त किया जायेगा।
- उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-02 के आय-व्ययक की अनुदान सं0 29 के लेखाशीर्षक- 2012-राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (आयोजनागत), 03-राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 090-सचिवालय (भारित), 03-अधिष्ठान व्यय के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जाएगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 10/वि0म0वि0/2001 दिनांक 27 जनवरी, 2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राकेश शर्मा  
सचिव, गोपन

संख्या 22/1/1/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल प्रकोष्ठ, इलाहाबाद।
- वित्त संसाधन विविध अनुभाग (दो प्रतियों में)
- कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,  
ह0-  
(डी0एस0 गर्ब्याल)  
संयुक्त सचिव, गोपन



प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत  
अपर सचिव, गोपन।

सेवा में,

श्री एन. रविशंकर  
सचिव, श्री राज्यपाल।

गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग

देहरादून, दिनांक 19 सितम्बर, 2001

विषय:- महामहिम श्री राज्यपाल के गृहस्थ अधिष्ठान में कर्मचारियों के पदों का सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3206/जी0एस0/2000 दिनांक 17.06.2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल के गृहस्थ अधिष्ठान हेतु 39 पद उनके सम्मुख अंकित संख्या के समक्ष उल्लिखित वेतनमान में नियुक्ति की तिथि अथवा शासनादेश निर्गत होने की तिथि, जो भी बाद में हो से दिनांक 28 फरवरी, 2002 तक की अवधि के लिए, बशर्ते की इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाय सृजन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	हेड ड्राइवर	01	3200-85-4900
2	ड्राइवर	04	3050-75-3950-80-4590
3	हेड कुक	01	3050-75-3950-80-4590
4	कुक	02	2610-60-3150-65-3540
5	धोबी	01	2550-55-2660-60-3200
6	कैम्प जमादार	01	2610-60-3150-65-3540
7	सहायक हाउस कीपर	01	5000-150-9000
8	शैफ	01	4500-125-7000
9	स्टीवर्ड	01	4500-125-7000
10	हेड खितमदगार	01	2610-60-3150-65-3540
11	खितमदगार	04	2550-55-2660-0-3200
12	हाउस वेयरर	02	2550-55-2660-60-3200
13	मसालची	02	2550-55-2660-60-3200
14	अनुसेवक	02	2550-55-2660-60-3200
15	क्लीनर	02	2550-55-2660-60-3200
16	कारपेन्टर	01	2610-60-3150-65-3540
17	वेलदार	03	2610-60-3150-65-3540
18	मेट	01	2550-55-2660-60-3200
19	पालीशर	01	2550-55-2660-60-3200
20	टेलर	01	2610-60-3150-65-3540
21	प्रधान माली	01	2610-60-3150-65-3540
22	माली	04	2550-55-2660-60-3200
23	धोबी मेट	01	2550-55-2660-60-3200
	कुल पद	39	

2. उक्त पदों में धारकों को शासन द्वारा उक्त पद के वेतन के साथ-साथ समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई एवं अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

3. विदिष्ट संवर्गों के पदों के अलावा शेष अन्य पदों की अर्हता वही रहेगी जो कि समकक्ष पदों की पूर्ववर्ती राज्य में विद्यमान थी।

4. उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-02 के आय-व्यय की अनुदान सं० 02 के लेखाशीर्षक- 2012-राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (आयोजनेत्तर), 03-राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 103-पारिवारिक स्थापना (भारित), 03-कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जाएगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 04 वित्त अनुभाग-3/2001 दिनांक 29 अगस्त, 2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह०-

एस०एस० रावत  
अपर सचिव, गोपन

संख्या 22/1/1/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, थार्न हिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद।
2. वित्त अनुभाग-3
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह०-

एस०एस० रावत  
अपर सचिव, गोपन

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत  
अपर सचिव, गोपन।

सेवा में,

अपर सचिव,  
श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।

गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग

देहरादून, दिनांक 24 अप्रैल, 2002

विषय:- वाहन चालकों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 14189/जी.एस./2001 दिनांक 31.12.2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्यपाल सचिवालय हेतु तीन वाहन चालकों (वेतनमान 3050-75-3950-80-4590) के अस्थाई पदों के सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अथवा इसे भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो से दिनांक 28.02.2003 अथवा छः माह जो भी पूर्व हो तक, बशर्ते कि ये इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, इस प्रतिबन्ध के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, कि उक्त पदों पर तैनाती सरप्लस पूल के चालकों/छटनीशुदा चालकों से ही यथावश्यकता की जायेगी।

2. उक्त पद के धारक को उक्त पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई व अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3. उक्त पद के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे।

4. उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-03 के आय-व्ययक की अनुदान सं0 02 के लेखाशीर्षक- 2012-राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (आयोजनेत्तर), 03-राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 090-सचिवालय (भारित), 03-अधिष्ठान व्यय के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जाएगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 1123/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 11 मार्च, 2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0-  
(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव, गोपन

संख्या 100/1/गो.मं.प./2002 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार कार्यालय, उत्तरांचल, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-3
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0-  
(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव, गोपन

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत  
अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,  
श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।

गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग

देहरादून, दिनांक 12 मार्च, 2003

विषय:- श्री राज्यपाल सचिवालय में दो वाहन चालकों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4070/जी.एस./10/2002 दिनांक 28.09.2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्यपाल सचिवालय हेतु वाहन चालक के वेतनमान रू0 3050-75-3950-80-4590 में अस्थाई पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अथवा इसे भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से 28.02.2004 तक, बशर्ते कि यह पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। एक अतिरिक्त वाहन जो आवश्यकता से अधिक है उसे राज्य सम्पत्ति विभाग को वापस कर दिया जायेगा।

2. उक्त पदों के धारकों को प्रश्नगत पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई व अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे।

4. उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-04 के आय-व्ययक की अनुदान सं0 02 के लेखाशीर्षक- 2012-राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 03-राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 00- आयोजनेत्तर, 090-सचिवालय (भारित), 03-अधिष्ठान व्यय के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जाएगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 2882/वित्त अनुभाग-3/2003 दिनांक 03.03.2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0-  
(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव, गोपन

संख्या 91 (1)/गो.मं.प./2003 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तरांचल, सत्यनिष्ठा भवन, 5-ए नार्थहिल रोड, इलाहाबाद, उ.प्र.।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, उत्तरांचल प्रकोष्ठ, इलाहाबाद/महालेखाकार कार्यालय, उत्तरांचल, दिल्ली रोड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
ह0-  
(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव, गोपन

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत  
अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,  
श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।

गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग

देहरादून, दिनांक 02 अगस्त, 2002

विषय:- वाहन चालकों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-100/गो.मं.प./2002 दिनांक 24.04.2002 को निम्न सीमा तक संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में उल्लिखित "उक्त पदों पर तैनाती सरप्लस पूल के चालकों/छंटनीशुदा चालकों से ही यथावश्यकता की जायेगी" के स्थान पर "उक्त 03 वाहन चालकों के पदों को यथाप्रक्रिया सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा" पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश में वर्णित शेष शर्तें यथावत रहेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 905/वि0अनु0-3/02 दिनांक 30.07.02 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
ह0-  
(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव, गोपन

संख्या 298 / 1 / गो.मं.प. / 2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी) ओवराय स्टेट बिल्डिंग,माजरा, देहरादून।
2. कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-3
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0-  
(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव, गोपन

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत  
अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,  
श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।

गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग

देहरादून, दिनांक 02 अगस्त, 2002

विषय:— वाहन चालकों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-100/गो.मं.प./2002 दिनांक 24.04.2002 को निम्न सीमा तक संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में उल्लिखित "उक्त पदों पर तैनाती सरप्लस पूल के चालकों/छंटनीशुदा चालकों से ही यथावश्यकता की जायेगी" के स्थान पर "उक्त 03 वाहन चालकों के पदों को यथाप्रक्रिया सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा" पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश में वर्णित शेष शर्तें यथावत रहेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 905/वि0अनु0-3/02 दिनांक 30.07.02 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0—

(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव, गोपन

संख्या 298 / 1 / गो.मं.प. / 2002 तददिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी) ओवराय स्टेट बिल्डिंग,माजरा, देहरादून।
2. कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-3
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0—

(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव, गोपन

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत  
अपर सचिव

सेवा में,

सचिव,  
श्री राज्यपाल,  
राज्यपाल सचिवालय,  
उत्तरांचल, देहरादून।

गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग

देहरादून, दिनांक 13 जून, 2002

विषय:- महामहिम श्री राज्यपाल सचिवालय, देहरादून के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 हेतु पदों की निरन्तरता जारी किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-22/1/1/2000 दिनांक 07.02.2001, शासनादेश संख्या-22/1/1/2000 दिनांक 18.05.2001 तथा शासनादेश संख्या- 145/गो.मं.प./2002 दिनांक 16.05.2002 को निम्न सीमा तक संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त शासनादेशों में उल्लिखित क्रमांक-7 पर राजपत्रित अधिकारी "कम्प्ट्रोलर सचिव" के स्थान पर "कम्प्ट्रोलर" पढ़ा जाय।
2. सचिव, श्री राज्यपाल के स्थान पर "निजी सचिव, सचिव श्री राज्यपाल" पढ़ा जाय।
3. उक्त शासनादेशों में उल्लिखित अराजपत्रित पदों क्रमांक-4 पर सहायक लेखाकार का वेतनमान 5000-150-8000 के स्थान पर 4000-100-6000 तथा क्रमांक-12 पर उल्लिखित टंकक का वेतनमान 3200-85-4900 के स्थान पर 3050-75-4590 पढ़ा जाय।
4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-498, दिनांक 13.06.2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0-

(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव, गोपन

संख्या 109(1)/गो.मं.प./2002 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल प्रकोष्ठ, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार कार्यालय, उत्तरांचल, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-1/वित्त अनुभाग-3
4. कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

ह0-

(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव, गोपन

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत  
अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

श्री एन0 रविशंकर  
सचिव, श्री राज्यपाल,  
उत्तरांचल।

गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग

देहरादून, दिनांक 10 जुलाई, 2003

विषय:- महामहिम श्री राज्यपाल सचिवालय, देहरादून के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 हेतु पदों की निरन्तरता जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सचिव श्री राज्यपाल के पत्र संख्या-2090/जी.एस./11(1)/2000 दिनांक 10.07.2002, जिसके साथ वित्त विभाग का शासनादेश संख्या-8/वि.सं.वि./2001 दिनांक 27.02.2001 तथा कार्मिक विभाग का शासनादेश संख्या- यू.ओ. 37/एक-1-2002 दिनांक 26.04.2002 संलग्न हैं, के संदर्भ में उपर्युक्त विषयक गोपन (मंत्रीपरिषद) अनुभाग के शासनादेश संख्या-22/1/1/2000 दिनांक 07.02.2001, संख्या-22/1/1/2000 दिनांक 18.05.2001, संख्या-145/गो.मं.प./2002 दिनांक 16.05.2002 को निम्न सीमा तक संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित क्रमांक-11 पर राजपत्रित अधिकारी " वित्त एवं लेखाधिकारी" के स्थान पर वित्त नियंत्रक पढ़ा जाय तथा अभ्युक्ति के कालम में " वित्त एवं लेखा सेवा" के स्थान पर "उत्तरांचल वित्त सेवा पढ़ा" जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 303/वित्त अनु0-3/2003 दिनांक 29.05.2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0-

(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव, गोपन

संख्या 236(1)/गो.मं.प./2002 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल प्रकोष्ठ, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-1/वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0-

(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव, गोपन



प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत  
अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

सचिव,  
श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।

गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग

देहरादून, दिनांक 08 सितम्बर, 2005

विषय:- राज्यपाल सचिवालय हेतु सृजित अस्थायी पदों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्यपाल सचिवालय के अन्तर्गत संलग्नक-1 में उल्लिखित अस्थायी पदों को दिनांक 08.09.2005 से स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार महंगाई व अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थायी पदों के दिनांक 08.09.2005 से स्थायी पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक-1 के कालम-6 में उल्लिखित शासनादेश संख्या- 364/गो.मं. प./2005 दिनांक 30.04.2005 को जिसमें इन पदों को वर्ष 2005-06 में दिनांक 28.02.2006 तक अस्थाई रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पद की निरन्तरता केवल दिनांक 07.09.2005 तक के लिए ही दी गयी थी।

उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय आय-व्ययक की अनुदान सं० 02 के लेखाशीर्षक-2012-राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (आयोजनागत), 03-राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 090-सचिवालय (भारत), 03-अधिष्ठान व्यय के अंतर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थायीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-797/दस-87-24 (12)-86 दिनांक 25.05.1987 में निहित सभी शर्तों की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

भवदीय,

ह०  
(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 738(1)/22/1/1/XXI/2005 C.X तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-3
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
ह०-  
(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव

शासनादेश संख्या 738/22/1/1/XXI/2005 C.X दिनांक 08.09.2005 द्वारा राज्यपाल सचिवालय, उत्तरांचल में स्थायी किये गये पदों का विवरण

क्र. सं.	पद नाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप में सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अंतिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातस्व स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	सचिव, श्री राज्यपाल	01	अपने संवर्ग के अनुसार	22/1/1/2000 दि० 7.02.2001	364/गो.मं.प./05 दि० 30.04.05	आई.ए.एस.
2	संयुक्त सचिव, श्री राज्यपाल	01	अपने संवर्ग के अनुसार	-तदैव-	-तदैव-	पी.सी.एस.
3	परिसहायक, श्री राज्यपाल	02	अपने संवर्ग के अनुसार	-तदैव-	-तदैव-	एक सेना तथा एक पुलिस से
4	विधि परामर्शदाता	01	अपने संवर्ग के अनुसार	-तदैव-	-तदैव-	न्यायिक सेवा
5	चिकित्साधिकारी (एक महिला तथा एक पुरुष)	02	अपने संवर्ग के अनुसार	-तदैव-	-तदैव-	चिकित्सा सेवा
6	कम्प्यूटर	01	अपने संवर्ग के अनुसार	-तदैव-	-तदैव-	-
7	वित्त नियंत्रक	01	अपने संवर्ग के अनुसार	-तदैव-	-तदैव-	वित्त सेवा
8	सूचना अधिकारी	01	अपने संवर्ग के अनुसार	-तदैव-	-तदैव-	सूचना सेवा
9	अनुसचिव	01	10000-325-15200	-तदैव-	-तदैव-	
10	कंप्यूटर प्रोग्रामर	01	8000-275-13500	-तदैव-	-तदैव-	
11	निजी सचिव श्री राज्यपाल	01	6500-200-10500	-तदैव-	-तदैव-	
12	अनुभाग अधिकारी	02	6500-200-10500	-तदैव-	-तदैव-	
	<b>कुल पद</b>	<b>15</b>				

अराजपत्रित

1	समीक्षा अधिकारी	04	5500-175-9000	22 / 1 / 1 / 2000 दि० 7.02. 2001	364 / गो.मं.प. / 05 दि० 30.04. 05	
2	अपर निजी सचिव	04	5500-175-9000	-तदैव-	-तदैव-	
3	कोषाध्यक्ष / लेखाकार	01	5000-150-8000	-तदैव-	-तदैव-	
4	सहा० पुस्तकालयाध्यक्ष	01	5000-150-8000	-तदैव-	-तदैव-	
5	सहायक समीक्षा अधीकारी	04	4500-125-7000	-तदैव-	-तदैव-	
6	टेलीफोन आपरेटर	04	4500-125-7000	-तदैव-	-तदैव-	
7	सूचीकार	01	4500-125-7000	-तदैव-	-तदैव-	
8	स्टोर कीपर	01	4500-125-7000	-तदैव-	-तदैव-	
9	स्वागतकर्ता	02	3050-75-3950-80-45 90	-तदैव-	-तदैव-	
10	टंकक	03	3050-75-3950-80-45 90	-तदैव-	-तदैव-	
11	चालक	03	3050-75-3950-80-45 90	100 / गो.मं. प. / 02 दि. 24.04.02 व 91 / गो.मं.प. / 03 दि. 12.03.03	-तदैव-	
12	जमादार / वरि. अनुसेवक	02	2610-60-3150-65-35 40	22 / 1 / 1 / 2000 दि० 7.02. 2001	-तदैव-	
13	चपरासी / अनुसेवक	09	2550-55-2660-60-32 00	-तदैव-	-तदैव-	
14	फर्राश कम चौकीदार	01	2550-55-2660-60-32 00	-तदैव-	-तदैव-	
15	औषधालय मेहत्तर	01	2550-55-2660-60-32 00	-तदैव-	-तदैव-	
16	डिस्पेंसरी आया	01	2550-55-2660-60-32 00	-तदैव-	-तदैव-	
17	सफाई कर्मचारी	06	2550-55-2660-60-32 00	-तदैव-	-तदैव-	
	कुल पद	48				

ह०-  
(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत  
अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

सचिव,  
श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।

गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग

देहरादून, दिनांक 08 सितम्बर, 2005

विषय:- महामहिम श्री राज्यपाल के गृहस्थ अधिष्ठान हेतु सृजित अस्थायी पदों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्यपाल सचिवालय के अन्तर्गत संलग्नक-2 में उल्लिखित अस्थायी पदों को दिनांक 08.09.2005 से स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार महंगाई व अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थायी पदों के दिनांक 08.09.2005 से स्थायी पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक-2 को कालम-6 में उल्लिखित शासनादेश संख्या- 363/गो. मं.प./2005 दिनांक 30.04.2005 को जिसमें इन पदों को वर्ष 2005-06 में दिनांक 28.02.2006 तक अस्थाई रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पद की निरन्तरता केवल दिनांक 07.09.2005 तक के लिए ही दी गयी थी।

उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय आय-व्ययक की अनुदान सं0 02 के लेखाशीर्षक-2012-राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (आयोजनागत), 03-राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 103-पारिवारिक स्थापना (भारित), 03-कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थायीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-797/दस-87-24 (12)-86 दिनांक 25.05.1987 में निहित सभी शर्तों की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

भवदीय,

ह0

(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 737(1)/22/1/1/XXI/2005 C.X तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-3
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0-

(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव

शासनादेश संख्या 737/22/1/1/XX/2005 C.X दिनांक 08.09.2005 द्वारा श्री राज्यपाल के गृहस्थ अधिष्ठान में स्थायी किये गये पदों का विवरण:-

क्र. सं.	पद नाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप में सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अंतिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातस्व स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई हो
	2	3	4	5	6	7
1	सहायक हाउस कीपर	01	5000-150-8000	22/1/1/2000 दि० 29.09.2001	363/गो.मं.प./05 दि० 30.04.05	
2	शेफ	01	4500-125-7000	-तदैव-	-तदैव-	
3	स्टीवर्ड	01	4500-125-7000	-तदैव-	-तदैव-	
4	हेड ड्राइवर	01	3200-85-4900	-तदैव-	-तदैव-	
5	ड्राइवर	04	3050-75-3950-80-4590	-तदैव-	-तदैव-	
6	हेड कुक	01	3050-75-3950-80-4590	-तदैव-	-तदैव-	
7	कुक	02	2610-60-3150-65-3540	-तदैव-	-तदैव-	
8	कैम्प जमादार	01	2610-60-3150-65-3540	-तदैव-	-तदैव-	
9	हेड खितमदगार	01	2610-60-3150-65-3540	-तदैव-	-तदैव-	
10	वेलदार	03	2610-60-3150-65-3540	-तदैव-	-तदैव-	
11	धोबी	01	2550-55-2660-60-3200	-तदैव-	-तदैव-	
12	खितमदगार	03	2550-55-2660-60-3200	-तदैव-	-तदैव-	
13	हाउस वेयरर	02	2550-55-2660-60-3200	-तदैव-	-तदैव-	
14	मसालची	01	2550-55-2660-60-3200	-तदैव-	-तदैव-	
15	अनुसेवक	01	2550-55-2660-60-3200	-तदैव-	-तदैव-	
16	मेट	01	2550-55-2660-60-3200	-तदैव-	-तदैव-	
	कुल पद	25				

ह०-  
(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत  
अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

श्री एन0 रविशंकर  
प्रमुख सचिव,  
श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।

गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग

देहरादून, दिनांक 18 मार्च, 2004

विषय :- राज्यपाल सचिवालय हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1722/जी.एस./10(1-अधि0) 2005 दिनांक 06 अगस्त, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 22/1/1/2000 दिनांक 07. 02.2001 के क्रम में राज्यपाल सचिवालय हेतु निम्नलिखित अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान तथा संख्या में नियुक्ति की तिथि अथवा शासनादेश निर्गत होने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28. 02.2007 तक बशर्ते कि यदि किसी पद या पदों को पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

राजपत्रित

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	निजी सचिव, श्री राज्यपाल (विशेष श्रेणी)	01	12000-375-16500	निःसंवर्गीय
2	निजी सचिव, ग्रेड- 2	01	10000-325-15200	पूर्व में सृजित निःसंवर्गीय पद को संवर्गीय में परिवर्तित
3	निजी सचिव ग्रेड- 1	02	6500-200-10500	-
4	समीक्षा अधिकारी	02	5500-175-9000	-
5	अपर निजी सचिव	02	5500-175-9000	-
6	वाहन चालक	01	3050-75-3950-80-4590	-
7	चपरासी/अनुसेवक	01	2550-55-2660-60-3200	-
8	सफाई कर्मचारी	-	-	ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कार्य संपन्न किया जाय।

2. उक्त पदों के धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई व अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3. विशिष्ट संवर्गों के पदों के अलावा शेष अन्य पदों की अर्हता वही रहेगी जो कि समकक्ष पदों की पूर्ववर्ती राज्य में विद्यमान थी।

4. उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक की अनुदान सं0 02 के लेखाशीर्षक- 2012-राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (आयोजनेत्तर), 03-राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 090-सचिवालय (भारित), 03-अधिष्ठान व्यय के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जाएगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 141/XXVII -5 दिनांक 17 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
ह0-  
(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव

संख्या 217/22/1/3/XXI/2005 C.X.तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. अपर सचिव/वित्त नियंत्रक, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3. वित्त अनुभाग-1/वित्त अनुभाग-5
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
ह0-  
(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन  
गोपन (मंत्रीपरिषद्) अनुभाग  
संख्या 96/XXI/2008  
देहरादून दिनांक 31 जनवरी, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-596/XXXI(1)/2006 दिनांक 4 अगस्त, 2006 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-72/XXVII(7)/2007 दिनांक 29 मई, 2007 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड के ऐसे अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव, ग्रेड-1 (वेतनमान 6500-10500) में जिन्होंने 04 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को नॉन-फंक्शनल वेतनमान के रूप में रुपये 8000-275-13500 का वेतनमान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंध के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. इस प्रकार जिन अनुभाग अधिकारियों एवं जिनी सचिव, ग्रेड-1 को नॉन-फंक्शनल वेतनमान के रूप में रुपये 8000-275-13500 का वेतनमान प्राप्त हो जायेगा, उन्हें समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत आगे लाभ अनुमन्य नहीं होगा। नॉन-फंक्शनल वेतनमान प्राप्त करने वाले अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिव, ग्रेड-1 को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता पर यथावश्यक अलग से निर्णय लिया जायेगा।
2. उक्त नॉन-फंक्शनल वेतनमान 28.03.2006 की तिथि से लागू होगा।
3. उपरोक्त अनुमन्य कराये गये नॉन-फंक्शनल वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारी का वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-22 ए (1) के अनुसार किया जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-1279/XXVII-5/2008 दिनांक 28 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(भास्करानन्द)  
अपर सचिव

संख्या 96 (1)/XXI/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-5
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0-  
(भास्करानन्द)  
अपर सचिव



प्रेषक,

भास्करानन्द  
अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

सचिव,  
श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग

देहरादून, दिनांक 01 फरवरी, 2008

विषय:- राज्यपाल सचिवालय के समीक्षा अधिकारी तथा अपर निजी सचिव पदों के वेतनमान का उच्चीकरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों एवं अपर निजी सचिवों के समान राज्यपाल सचिवालय के समीक्षा अधिकारी तथा अपर निजी सचिव वेतनमान रूपये 5500-9000 को दिनांक 26.06.2007 से वेतनमान 6500-10500 में उच्चीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त पदों के वर्तमान पदधारकों का उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 22 के उपनियम (दो) (ग) की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1281/XXVII-5/2008 दिनांक 29 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
ह0-  
(भास्करानन्द)  
अपर सचिव

संख्या 96 (1)/XXI/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-5
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
ह0-  
(भास्करानन्द)  
अपर सचिव

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत,  
अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

श्री एन0 रविशंकर,  
सचिव, श्री राज्यपाल,  
उत्तरांचल।

गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग

देहरादून, दिनांक 10 नवम्बर, 2003

विषय:- राज्यपाल सचिवालय के चिकित्सालय हेतु फार्मासिस्ट पद की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 628/जी.एस./10/2000 दिनांक 12 मई, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्यपाल सचिवालय के चिकित्सालय हेतु फार्मासिस्ट का एक अस्थायी संवर्गीय पद वेतनमान रु0 4500-125-7000 में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा इसे भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, दिनांक 29.02.2004 तक बशर्ते कि यह पद इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त पद पर तैनाती चिकित्सा विभाग के कर्मी से सेवा स्थानान्तरण के आधार पर की जायेगी और इसकी तैनाती के परिणामस्वरूप चिकित्सा विभाग का उक्त पद नहीं भरा जायेगा।

2. उक्त पद के धारक को उक्त पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई व अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3. उक्त पद के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेगा।

4. उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-04 के आय-व्ययक की अनुदान सं0 02 के लेखाशीर्षक- 2012-राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (आयोजनेत्तर), 03-राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 090-सचिवालय (भारित), 03-अधिष्ठान व्यय के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जाएगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 1736/वित्त अनुभाग-3/2003 दिनांक 06.11.2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0-

(सुरेन्द्र सिंह रावत)

अपर सचिव, गोपन

संख्या 636(1)/गो.मं.प./2003 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-3
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0-

(सुरेन्द्र सिंह रावत )

अपर सचिव, गोपन

**गोपन (मंत्रीपरिषद) अनुभाग**  
**उत्तरांचल शासन**  
**संख्या 1102/1/5/XXI/2006**  
**देहरादून दिनांक 11 दिसम्बर, 2006**

**कार्यालय-ज्ञाप**

वित्त (वे0अ0सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-108/XXVII(7)/2006 दिनांक 03 जुलाई, 2006 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-22/1/1/2000 दिनांक 19.09.2001, संख्या-100/गो.मं.प./02 दिनांक 24.04.02, संख्या 91/गो.मं.प./03 दिनांक 12.03.03 एवं संख्या-712/22 /1/3/XXI/2005 सी.एक्स. दिनांक 18.03.2006 द्वारा राजभवन हेतु सृजित वाहन चालकों के कुल सृजित 11 पदों का पुनर्गठन करते हुए वाहन चालक संवर्ग के पदों को निम्नानुसार वेतनमान एवं संख्यावार चार ग्रेडों में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	ग्रेड/पदनाम	वेतनमान	सृजित पदों की संख्या	भर्ती की विधि
1	वाहन चालक ग्रेड-4	3050-4590	04	वाहन चालक ग्रेड-4 के पदों पर सीधी भर्ती उत्तरांचल राजभवन ड्राइवर और क्लीनर नियमावाली-2006 में निहित प्राविधानों के आधार पर की जायेगी।
2	वाहन चालक ग्रेड-3	4000-6000	03	वाहन चालक ग्रेड-3 के पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ग्रेड-4 के ऐसे वाहन चालकों में से की जायेगी, जिन्होंने 9 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
3	वाहन चालक ग्रेड-2	4500-7000	03	वाहन चालक ग्रेड-2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे ग्रेड-3 के वाहन चालक में से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड-3 के पद पर 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड-4 की सेवा जोड़ते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
4	वाहन चालक ग्रेड-1	5000-8000	01	वाहन चालक ग्रेड-1 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे ग्रेड-2 के वाहन चालक में से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड-2 के पद पर 3 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो।

2. उपरोक्तानुसार स्वीकृत ग्रेड/वेतनमान में वर्तमान वाहन चालकों की पदोन्नति/समायोजन वित्त विभाग के ऊपरलिखित शासनादेश संख्या 108/XXVII (7)/2006 दिनांक 03.07.2006 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निम्न प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी।

(1) उपरिलिखित ग्रेडों में वाहन चालक की पदोन्नति/समायोजन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। ज्येष्ठ सरकारी सेवक की उपेक्षा करके कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति नहीं की जायेगी। ज्येष्ठ कार्मिक के अनुपयुक्त पाये जाने पर उससे ठीक नीचे के कार्मिक की उपयुक्तता पर विचार किया जायेगा और इस प्रकार पात्रता क्षेत्र में उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जायेगा।

(2) राजभवन में संविलियन कार्मिकों की संविलियन से पूर्व की गयी शासकीय सेवाओं का समयमान वेतनमान व अन्य लाभों हेतु गणना में नहीं लिया जायेगा।

(3) राजभवन में संविलियन से पूर्व निगम में की गयी सेवाओं को राज्य सरकार की सेवाओं में आगणित किये जाने का कोई प्राविधान न होने के कारण पात्रता निर्धारण हेतु गणना में लिये जाने का कोई आधार नहीं है।

(4) स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार व्यवस्था संगत सेवा नियमों में करने के बाद ही उक्तानुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या-463/XXVII-(7)/2006 दिनांक 07 दिसम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)

अपर सचिव

संख्या 1102 (1)/1/5/XXI/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल।
3. वित्त अनुभाग-5
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह०-

(सुरेन्द्र सिंह रावत)

अपर सचिव

प्रेषक,

भास्करानन्द,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,  
श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग

देहरादून, दिनांक 23 सितम्बर, 2009

विषय :- राज्यपाल सचिवालय हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 3306/जी.एस./सी0-123 (TC)-2006 दिनांक 24 नवम्बर, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-22/1/1/2000 दिनांक 07 फरवरी, 2001 एवं संख्या 217/22/1/3/XXI/2005 C.X दिनांक 18 मार्च, 2006 के अनुक्रम में राज्यपाल सचिवालय हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित संख्या के समक्ष उल्लिखित वेतनमान में शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 28.02.2010 तक बशर्ते कि यदि किसी पद या पदों को पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**राजपत्रित**

क्र.सं.	पदनाम	अतिरिक्त सृजित पदों की संख्या	वेतनमान	वेतन बैण्ड	ग्रेड-पे
1	2	3	4	5	6
1.	अनुभाग अधिकारी,	01	9300-34800	पे बैण्ड-2	4800
2.	मुख्य लेखाकार	01	9300-34800	पे बैण्ड-2	4600
	कुल योग	02			

**अराजपत्रित**

क्र. सं.	पदनाम	अतिरिक्त सृजित पदों की संख्या	वेतनमान	वेतन बैण्ड	ग्रेड-पे
1	2	3	4	5	6
1.	समीक्षा अधिकारी	03	9300-34800	पे बैण्ड-2	4200
2.	सहायक समीक्षा अधिकारी	02	5200-20200	पे बैण्ड-1	2800
3.	टंकक	01	5200-20200	पे बैण्ड-1	1900
4.	अनुसेवक	01	4440-7440	पे बैण्ड-1 एस	1300
	कुल योग	07			

उक्त पदों के धारको को शासन द्वारा समय-समय प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई व अन्य भत्ते देय होंगे।

उक्त पदों को सचिवालय प्रशासन/अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति से भरा जाये।

उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या- 02 के लेखाशीर्षक "2012-राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-आयोजनेत्तर-03- अधिष्ठान /संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक- 090- सचिवालय (भारित) - 03- कर्मचारी वर्ग" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय पत्र संख्या- 342 NP /XXVII- दिनांक 14 सितम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
ह0-  
(भास्करानन्द)  
अपर सचिव

संख्या 712/22/1/3/XXI/2005 C.X. &2009 तद्दिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग -5/7
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
ह0-  
(ओमकार सिंह )  
अनु सचिव।

**संगठनात्मक ढांचा**  
**राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों का विवरण**

अनुभाग का नाम:- राज्यपाल सचिवालय

लेखा शीर्षक का नाम:- 2012-090-03-00

क्र. सं.	विभिन्न वर्गों के पदों का पदनाम	01.05.10 को विद्यमान पदों की स्वीकृत संख्या		कुल स्वीकृत पदों की संख्या	01.05.10 को कुल भरे गये पदों की संख्या	01.05.10 को कुल रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई				
1	2	3	4	5	6	7	8
(क)	आयोजनेत्तर- राजपत्रित						
1.	सचिव	01	—	01	01	—	(अपने संवर्ग के अनुसार)
2.	विधि परामर्शदाता	01	—	01	01	—	(अपने संवर्ग के अनुसार)
3.	संयुक्त सचिव/ अपर सचिव	01		01	01	—	(अपने संवर्ग के अनुसार)
4.	वित्त नियंत्रक	01	—	01	01	—	(अपने संवर्ग के अनुसार)
5.	निजी सचिव विशेष श्रेणी (नि:संवर्गीय)	—	01	01	01	—	15600—39100
6.	अनुसचिव	01	—	01	01	—	15600—39100
7.	निजी सचिव ग्रेड-2	01	—	01	01	—	15600—39100
8.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	—	01	01	—	15600—39100
9.	सूचना अधिकारी	01	—	01	01	—	(अपने संवर्ग के अनुसार)
10.	निजी सचिव ग्रेड-1	01	02	03	03	—	9300—34800
11.	अनुभाग अधिकारी	02	01	03	03	—	9300—34800
12.	मुख्य लेखाकार	—	01	01	—	01	9300—34800
	<b>योग:</b>	<b>11</b>	<b>05</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	
(ख)	अराजपत्रित						
1.	अपर निजी सचिव	04	02	06	02	04	9300—34800
2.	समीक्षा अधिकारी	04	05	09	01	08	9300—34800
3.	कोषाध्यक्ष/ लेखाकार	01	—	01	01	—	9300—34800
4.	स. पुस्तकालयाध्यक्ष	01	—	01	01	—	9300—34800
5.	सहायक समीक्षा अधिकारी	04	02	06	04	02	5200—20200
6.	सहायक लेखाकार	—	01	01	01	—	5200—20200
7.	सूचीकार	01	—	01	01	—	5200—20200
8.	स्टोर कीपर	01	—	01	—	01	5200—20200
9.	कंप्यूटर डाटा इन्ट्री आपरेटर	—	01	01	01	—	5200—20200
10.	टेलीफोन आपरेटर	04	—	04	04	—	5200—20200
11.	टंकक	03	02	05	04	01	5200—20200
12.	स्वागती	02	02	04	04	—	5200—20200
13.	वाहन चालक	03	03	06	04	02	5200—20200
14.	वरिष्ठ अनुसेवक	02	—	02	02	—	4440—7440
15.	दफ्तरी	—	01	01	01	—	4440—7440
15.	अनुसेवक	09	03	12	05	07	4440—7440
16.	फर्माश-कम-चौकीदार	01	—	01	01	—	4440—7440
	<b>योग-</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>62</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	

अनुभाग का नाम:- गृहस्थ अधिष्ठान  
लेखा शीर्षक का नाम:- 2012-103-03-00

क्र. सं.	विभिन्न वर्गों के पदों का पदनाम	01.05.10 को विद्यमान पदों की स्वीकृत संख्या स्थाई अस्थाई		कुल स्वीकृत पदों की संख्या	01.05.10 को कुल भरे गये पदों की संख्या	01.05.10 को कुल रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7	8
(क)	आयोजनेत्तर राजपत्रित						
1.	परिसहाय	02	—	02	02	—	(अपने संवर्ग के अनुसार)
2.	कम्प्ट्रोलर	01	—	01	01	—	15600-39100
	योग-	<b>03</b>	<b>—</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>—</b>	
(ख)	अराजपत्रित						
1	हाउस कीपर	01	—	01	01	—	9300-34800
2	स्टीवर्ड	01	—	01	01	—	9300-34800
3	शेफ	01	—	01	01	—	5200-20200
4	प्रधान चालक	01	—	01	—	01	5200-20200
5	स. स्टोर कीपर	—	01	01	01	—	5200-20200
6	वाहन चालक	04	01	05	03	02	5200-20200
7	हैड कुक	01	—	01	01	—	5200-20200
8	कुक	02	01	03	02	01	4440-7440
9	कैम्प जमादार	01	—	01	01	—	4440-7440
10	हेड खिदमदगार	01	—	01	01	—	4440-7440
11	वेलदार	03	—	03	—	03	4440-7440
12	कारपेन्टर	—	01	01	—	01	4440-7440
13	टेलर	—	01	01	01	—	4440-7440
14	प्रधान माली	—	01	01	01	—	4440-7440
15	वेयरर	—	03	03	03	—	4440-7440
16	मोटर क्लीनर	—	02	02	—	02	4440-7440
17	धोबी	01	—	01	01	—	4440-7440
18	खिदमदगार	03	01	04	03	01	4440-7440
19	हाउस बेयरर	02	02	04	03	01	4440-7440
20	मसालची	01	02	03	02	01	4440-7440
21	अनुसेवक	01	01	02	02	—	4440-7440
22	मेट	01	—	01	01	—	4440-7440
23	पालीशर	—	01	01	—	01	4440-7440
24	धोबी मेट	—	01	01	01	—	4440-7440
25	माली	—	04	04	01	03	4440-7440
	योग-	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	



अनुभाग का नाम:- चिकित्सा

लेखा शीर्षक का नाम:- 2012-03-105-03-00

क्र.सं.	विभिन्न वर्गों के पदों का पदनाम	01.02.10 को विद्यमान पदों की स्वीकृत संख्या		कुल स्वीकृत पदों की संख्या	01.02.10 को कुल भरे गये पदों की संख्या	01.02.10 को कुल रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई				
1	2	3	4	5	6	7	8
	आयोजनेत्तर राजपत्रित						
1.	चिकित्साधिकारी	02	—	02	02	—	अपने संवर्ग के अनुसार
	योग—	02	—	02	02	—	
	अराजपत्रित						
1	फार्मसिस्ट	—	01	01	01	—	5200-20200
2	डिस्पेंसरी आया	01	—	01	01	—	4440-7440
3	औषधालय मेहतर	01	—	01	01	—	4440-7440
	योग—	02	01	03	03	—	

अनुभाग का नाम:- राजभवन सफाई

लेखा शीर्षक का नाम:- 2012-03-800-03-00

क्र.सं.	विभिन्न वर्गों के पदों का पदनाम	01.02.10 को विद्यमान पदों की स्वीकृत संख्या		कुल स्वीकृत पदों की संख्या	01.02.10 को कुल भरे गये पदों की संख्या	01.02.10 को कुल रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई				
1	2	3	4	5	6	7	8
	आयोजनेत्तर राजपत्रित						
	—	—	—	—	—	—	—
	अराजपत्रित						
1	सफाई जमादार	—	01	01	01	—	4440-7440
2	सफाई कर्मचारी	06	—	06	04	02	4440-7440
	योग—	06	01	07	05	02	

## अधिकारियों के अवकाश या प्रवास की स्थिति में कार्य व्यवस्था

कार्य विभाजन के अनुसार संबन्धित अधिकारी अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना तथा अवकाश या प्रवास की स्थिति में उनके कार्यों की व्यवस्था (नीतिगत मामलों को छोड़कर) निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	पद नाम	अवकाश या प्रवास पर रहने की स्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु अधिकृत अधिकारी
1	सचिव	संयुक्त सचिव/अपर सचिव
2	संयुक्त सचिव/अपर सचिव	वित्त नियंत्रक
3	कम्प्ट्रोलर	वित्त नियंत्रक
4	परिसहाय (भारतीय पुलिस सेवा)	परिसहाय (भारतीय सेना सेवा)
5	परिसहाय (भारतीय सेना सेवा)	परिसहाय (भारतीय पुलिस सेवा)
6	अनुसचिव	अनुभाग अधिकारी (अधिष्ठान)
7	प्रोग्रामर	डाटा इंटी आपरेटर
8	अनुभाग अधिकारी	समीक्षा अधिकारी (संबन्धित अनुभाग)

**राज्यपाल सचिवालय हेतु सृजित पद के विरुद्ध सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का रोस्टर  
राजपत्रित**

क्र. स.	पदनाम	सृजित पदों की संख्या	आरक्षण नीति के अनुसार रोस्टर	पदधारक का नाम	रोस्टर संख्या
1.	सचिव, श्री राज्यपाल	01	अनारक्षित	श्री अशोक	आई.एफ.एस.संवर्ग से
2.	विधि परामर्शी	01	अनारक्षित		उच्च न्यायिक सेवा से
3.	अपर सचिव श्री राज्यपाल	01	अनारक्षित	श्री अरुण कुमार ढौडियाल	आई.ए.एस.संवर्ग से
4.	वित्त नियंत्रक	01	अनारक्षित	श्रीमती पूनम सिंह सोबती	राज्य वित्त सेवा से
5.	निजी सचिव-विशेष श्रेणी	01	अनारक्षित	श्री आर० एस० चौहान	प्रतिनियुक्ति पर
6.	अनुसचिव	01	अनारक्षित	श्री कृष्ण सिंह	उत्तराखण्ड सचिवालय से सम्बद्ध।
7.	चिकित्साधिकारी	02	01 महिला चि. 02 पुरुष चि.	डॉ०सुनिता नन्दवानी डॉ०विनोद नौटियाल	चिकित्सा सेवा से
8.	निजी सचिव ग्रेड-2	01	अनारक्षित	श्री बी.पी.नौटियाल	1455-01
9.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	अनारक्षित	श्री वीरेन्द्र सिंह पुण्डीर	1454-01
10.	निजी सचिव ग्रेड-1	03	01 अनु०जाति 02 अनारक्षित 03 अनारक्षित	श्री के०एल०कौबियाल श्री डी०के० डोभाल	1455-01 1455-02 1455-03
11.	सूचना अधिकारी	01	अनारक्षित	श्रीमती हंसी बृजवासी	सूचना संवर्ग से
12.	अनुभाग अधिकारी	03	01 अनु.जाति 02 अनारक्षित 03 अनारक्षित	श्री लक्ष्मण राम आर्य श्री एन.के. पोखरियाल श्री जी०डी० नौटियाल	1455-01 1455-02
13.	मुख्य लेखाकार	01	अनारक्षित		

**अराजपत्रित**

1.	अपर निजी सचिव	06	01 अनु.जाति 02 अनारक्षित 03 अनारक्षित 04 अनारक्षित 05 अनारक्षित 06 अनु.जाति	रिक्त श्री त्रिभुवन नौटियाल रिक्त रिक्त रिक्त रिक्त	1454-01 1454-02 1454-03 1454-04 1454-05
2.	समीक्षा अधिकारी	09	01 अनु.जाति 02 अनारक्षित 03 अनारक्षित 04 अनारक्षित 05 अनारक्षित 06 अनु.जाति 07 अ०पि०वर्ग 08 अनारक्षित 09 अनारक्षित	रिक्त श्री पी० सी० मैठाणी रिक्त रिक्त रिक्त रिक्त रिक्त रिक्त रिक्त	1455-01 1455-02 1455-03 1455-04 1455-05 1455-06
3.	कोषाध्यक्ष / लेखाकार	01	अनारक्षित	श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी	1455-01 पद को आस्थगित रखकर संविदा पर तैनात
4.	सहा० पुस्तकालयाध्यक्ष	01	अनारक्षित	श्री रमाकान्त बेंजवाल	1454-01

5.	सहा० समीक्षा अधिकारी	06	01 अनु०जाति 02 अनारक्षित 03 अनारक्षित 04 अनारक्षित 05 अनारक्षित 06 अनु०जाति	श्री वेद प्रकाश मुहार श्री अनूप सिंह नेगी श्री सच्चिदानंद चमोली श्री विनोद कुमार रिक्त रिक्त	1454-01 1455-01 1455-02 1454-02
6.	सहा० लेखाकार	01	अनारक्षित	श्रीमती उमा ठक्कर	1454-01
7.	स्टोर कीपर	01	अनारक्षित	रिक्त	1454-01
8.	सूचीकार	01	अनारक्षित	श्रीमती चन्द्रकांता चौहान	1454-01
9.	डाटा एण्ट्री आपरेटर	01	अनारक्षित	श्री अनूप सिंह नेगी	1454-01
10.	टेलीफोन आपरेटर	04	01 अनु.जाति 02 अनारक्षित 03 अनारक्षित 04 अनारक्षित	श्री सुभाष चन्द श्री जी०एस० गुलेरिया श्री अजय गोदियाल श्री भूपेश पुरोहित	1454-01 1455-01 1454-02 1454-03
11.	फार्मेसिस्ट	01	अनारक्षित	श्री जगदीश चन्द्र देवराड़ी	1454-01
12.	टंकक	05	01 अनु.जाति 02 अनारक्षित 03 अनारक्षित 04 अनारक्षित 05 अनारक्षित	श्रीमती निशा भट्टाचार्य श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय श्री सर्वेश पुराहित श्री यशवन्त सिंह बिष्ट रिक्त	1454-01 1455-01 1454-02 1454-03
13.	स्वागती	04	01 अनु.जाति 02 अनारक्षित 03 अनारक्षित 04 अनारक्षित	श्री प्रदीप जोशी श्री महिपाल सिंह रावत श्रीमती उर्मिला खण्डूडी	1454-01 1454-02 1455-01 1454-03
14.	वाहन चालक	06	01 अनु.जाति 02 अनारक्षित 03 अनारक्षित 04 अनारक्षित 05 अनारक्षित 06 अनु.जाति	श्री जीत लाल श्री विक्रम सिंह कैन्तुरा श्री प्रेम सिंह नेगी श्री हीरा बल्लभ(संविदा) रिक्त रिक्त	1454-01 1454-02 1454-03 1454-04 1454-05 1454-06
15.	जमादार/वरिष्ठ अनुसेवक	02	01 अनु.जाति 02 अनारक्षित	श्रीमती विजय लक्ष्मी श्री राजेन्द्र सिंह	1455-01 1455-02
16.	दफ्तरी	01	अनारक्षित	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	1455-01
17.	अनुसेवक	12	01 अनु०जाति 02 अनारक्षित 03 अनारक्षित 04 अनारक्षित 05 अनारक्षित 06 अनु.जाति 07 अ.पि.वर्ग 08 अनारक्षित 09 अनारक्षित 10 अनारक्षित 11 अनु.जाति 12 अनारक्षित	रिक्त श्री देव सिंह श्री दिनेश भट्ट श्री खजान सिंह श्री रामप्रकाश नौटियाल रिक्त श्री संजय क्षेत्री रिक्त रिक्त रिक्त रिक्त	1454-01 1454-02 1454-03 1454-04 1454-05 1454-06 1454-07 1454-08 1454-09 1454-10 1454-11
18.	फर्रास-कम-चौकीदार	01	अनारक्षित	श्री यशवीर सिंह	1454-01
19.	औषधालय आया	01	अनारक्षित	श्रीमती संगीता चौहान	1454-01
20.	औषधालय मेहतर	01	अनारक्षित	श्री मुकेश कुमार	1454-01

21.	सफाई जमादार	01	अनारक्षित	श्री मुनिदेव वाल्मिकी	1455-01
22.	सफाई कर्मचारी	06	01 अनु.जाति	श्री नरेश कुमार	1454-01
			02 अनारक्षित	श्री संजय कुमार	1454-02
			03 अनारक्षित	श्री अमर सिंह	1454-03
			04 अनारक्षित	श्री मोहन कुमार	1454-04
			05 अनारक्षित	रिक्त	1454-05
			06 अनु.जाति	रिक्त	1454-06

## जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

महामहिम श्री राज्यपाल को उनके भ्रमण कार्यक्रमों पर तथा डाक के माध्यम से प्राप्त क्षेत्रीय एवं व्यक्तिगत समस्याओं पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा सम्बन्धित विभागों के सहयोग से समयबद्ध रूप से कार्यवाही कराकर समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

### कार्यालय का पता :-

राजभवन, न्यू कैंट रोड, गढ़ी, देहरादून में अवस्थित है।

### कार्य अवधि :-

अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालय प्रातः 09.30 बजे खुलता है और सांय 06.00 बजे बन्द होता है।